न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 02/2017 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी वार्ड नं. 34, हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।

——— अपीलान्ट

–– बनाम ––

स्टेट ऑफ राजस्थान।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री दिपेन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 23.04.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 08.12.2015, जिसमें अपीलांट के नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने वृद्ध पिता श्री ओम प्रकाश के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 1/79 डी.एम. श्रीगंगानगर आउट साइड नं. 423/94 पर दर्ज शस्त्र एन.पी.बोर रिवॉल्वर को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के उद्देश्य से अपीलान्ट ने अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ, पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी.(सुरक्षा) राज. जयपुर एवं उप वन संरक्षक हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट क्रमांक 169 दिनांक 9.6.15 में "आवेदक के खिलाफ दिनांक 25.10.2008 को इस्तगासा, 3/4 आर.पी.ओ. में दिनांक 12.11.2008 को चालान पेश अदालत किया गया, जिसमें अदालत द्वारा दिनांक 12.11.2008 को सजा फरमाई गई।" की टिप्पणी की गई है, जिसको आधार मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2015 को अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त करने संबंधी पत्र क्रमांक 8955 दिनांक 08.12.2015 जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री दिपेन्द्रसिंह का मुख्य कथन है कि अपीलांट के पिता काफी वृद्ध हो चुके हैं। अपीलांट के पिता के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र प्राप्त करने के उद्देश्य से अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस बाबत अपीलांट के पिता एवं अन्य परिवार के सदस्यों ने शपथ पत्र देकर सहमति दे दी थी। अपीलांट के पिता का रिवॉल्वर काफी पुराना व परिवार की निशानी के रूप में रखा हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ से रिपोर्ट ली थी, जिसमें अपीलांट के खिलाफ दिनांक 25.10.2008 को जरिये इस्तगासा 3/4 आर.पी.ओ. में दिनांक 12.11.2008 को चालान अदालत में पेश किया गया, जिसमें अदालत द्वारा दिनांक 12.11.2008 को सजा फरमाई गई। उक्त प्रकरण में न्यायालय ने अपीलांट को केवल जुर्माना लगाकर बरी कर दिया था। उक्त प्रकरण में ऐसा कोई आरोप नहीं था जिसमें कोई हथियार का इस्तेमाल किया गया हो अथवा जानबूझ कर कोई अपराध कारित किया हो। उक्त प्रकरण के अलावा अपीलांट के खिलाफ भारत में किसी भी न्यायालय में कोई भी मुकदमा जेरकार नहीं है। शस्त्र अधिनियम एवं नियम के अनुसार किसी भी शस्त्र अनुज्ञाधारी का अनुज्ञा पत्र तभी जारी करने से इन्कार किया जा सकता है जब उसके विरूद्ध लोक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा में किसी प्रकार का कोई खतरा हो या खतरे का आरोप हो। अपीलांट के विरूद्ध जारी किये गये आदेश में इस प्रकार का कोई आरोप नहीं है। अपीलांट एक शांति प्रिय नागरिक है और उसने अपनी जान–माल की रक्षा के लिये तथा अपने पिता के लाईसेंस में दर्ज शस्त्र को ट्रान्सफर करवाने की गरज से स्वंय के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु आवेदन किया था। अपीलांट के विरूद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, न ही कोई मुकदमा विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पक्ष में यदि लाईसेंस जारी कर दिया जावे तो लोक शांति अथवा जान माल को कोई खतरा नहीं होगा। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट में दर्ज आपराधिक प्रकरण को आधार माना है, जिसमें अपीलांट को दोषी मानते हुए सजा दी गई है। इस प्रकार एक सजायाब को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में अपीलांट ने अपने वृद्ध पिता के लाईसेंस पर दर्ज रिवॉल्वर को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 9.6.15 में अपीलांट के खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2008 को सजा होना अंकित किया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य कथन किया है कि अपीलांट को उक्त मुकदमा में केवल जुर्माना लगा कर बरी कर दिया गया है, जबकि जुर्माना भी सजा में शुमार होती है। अपीलांट ने उक्त सजा के निर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय में अपील भी नहीं की है। अपीलांट ने वरवक्त बहस अन्य कोई साक्ष्य–सबूत हमारे समक्ष पेश नहीं किये हैं, जिस पर पुनर्विचार किया जा सके। यह तथ्य भी गौरतलब है कि शस्त्र उत्तराधिकार में देने योग्य वस्तु नहीं है। अपीलांट के पिता चाहें तो अपने अन्य सद्चरित्र वारिसान के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करवा सकते हैं।
7. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए हम अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2015 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2015 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।
8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 23.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर